न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0, सर्किट कोर्ट रीवा,

(म0प्र0)

श्री अयध्य त्रिपाठी एड. द्वारा पेश 11-11-14

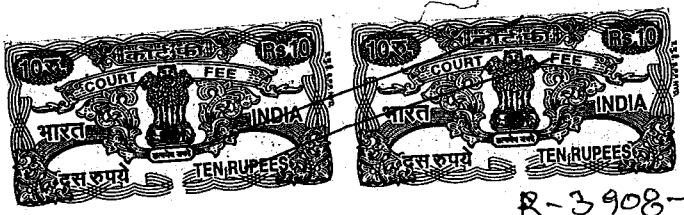

484
11-11-14

R-3908-III-14

1- रामकरण पिता रामचरण उपाध्याय

2- बुटनी पिता रामचरण उपाध्याय पत्नी कौशलप्रसाद दुबे,

दोनो निवासी ग्राम पड़ोखर, तहसील हुजूर, जिला रीवा,म0प्र0,

---- निगराकारगण

बनाम

हरिहर प्रसाद तिवारी तनय रामबिशाल तिवारी, निवासी ग्राम पड़ोखर तहसील हुजूर, जिलारीवा,म0प्र0 - --- गैरनिगराकार

क्रमांक________
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक________को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्र.क्र. 41/अपील/12-13 आदेश दिनांक 13.10.14, के विरूद्ध।

क्रमांक 3642
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 13/11/14 को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण निम्न है:-

यह कि भूमि खसरा नं0 664 निगराकारगण के पारिवारिक श्मशान की भूमि(बगीचा) है, जिसमे आम के 3 पेड़ आज भी जीवित है, एवं भूमि खसरा क्रमांक 666 आबादी से लगी हुई, आबादी निस्तार की भूमि है, जिन्हे गैरनिगराकार ने निगराकारगण को बिना सूचना दिये फर्जी टीप का हवाला देकर राजस्व निरीक्षक गोबिन्दगढ़ से दिनांक 28.1.77 को नामांतरण अपने नाम स्वीकृत करा लिया, जिसकी निगराकारगण को कोई जानकारी नही दी गई, यहां तक कि निगराकार क्र0 2 के प्रश्नाधीन नामांतरण पंजी मे हस्ताक्षर तक नही बने है, साथ ही निगराकार क्र0 1के फर्जी हस्ताक्षर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3908–तीन/2014 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री अवधविहारी पटेल अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से केविएट कर्ता श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि भूमि खसरा कमांक–664 पारिवारिक श्मशान (बगीचे) की भूमि है जिसका अनावेदक द्वारा बिना बताये एवं बिना सूचना दिए नामांतरण पंजी दिनांक–28.1.1977 से अपने नाम नामांतरण स्वीकार करा लिया है । जानकारी होने पर आदेश दिनांक–28.1.77 की अपील अनुविभागीय अधिकाकरी के न्यायालय में की गयी जहां नामांतरण आदेश दिनांक–28.1.77 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गयी । यह भी बताया गया कि नामांतरण पंजी में अंकित कथित विक्रीटीप दिनांक–20.8.69 के संबंध में कि"उपरोक्त विवादित भूमिकयों का भूमि स्वामी कौन था" की जांच हेतु आदेश दिनांक–13 नियम 10 जा.दी. दिनांक–2.9.14 एवं आदेश 6 नियम 17 जा.दी. दिनांक–29.9.14 को आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक–13.10.14 से बिना पर्याप्त कारण के निरस्त कर दिया गया । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक उपरोक्त भूमि के भूमिस्वामी नहीं थे । इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है । निगरानी ग्राह्य करने के निवेदन किया गया । निगरानी मेंमों में अंकित पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु विचार में लिया जावेगा । अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण में शीध्र निराकरण न हो इसे ध्यान में रख कर आवेदक विभिन्न न्यायालयों में एक ही बाद बिन्दु के संबंध में विभिन्न विषयवस्तु को लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखना चाहते हैं मूल विवाद अपर आयुक्त के न्यायालय में लंबित है । इसके अतिरिक्त केविएट आवेदन में अंकित तथ्यों को प्रकट कर निगरानी को अग्राह्य करने का निवेदन किया गया है । आवेदक एवं अनावेदक अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमों तथा केविएट मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा उनका परिशीलन किया गया । अंकित तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक–13.10.14 में अंकित किया है कि आवेदक जिस पंजी की तलवी चाहता है वह अपील पंजी में आक्षेपित नहीं है । इस कारण आदेश 13 नियम 10 जा.दी.का आवेदन तथा आदेश 6 नियम 17 जा.दी. से चाहा गया संशोधन अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत अपील से संबंधित है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील का निराकरण किया जा चुका है, अपर आयुक्त न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की अपील प्रचलित है । इस कारण	

R. 3908/II/14

आवेदक के उक्त आवेदन निरस्त किए गये है । अपर आयुक्त द्वारा यह भी अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अपील प्रकरण में संलग्न है । प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया , जो दिनांक 10.11.14 को अंतिम तर्क हेतु नियत था प्रकरण अपन आयुक्त के न्यायालय में अंतिम निर्णय हेतु प्रचालित होना पाया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये आवेदनों का निराकरण किया गया है न कि प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण । प्रकरण निराकरण के लिये अंतिम तर्क हेतु लंबित है,जहां उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है । उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक–13.10.14 से किसी भी पक्ष के हित प्रभावित होने की प्रथम दृष्टया वर्तमान में कोई संभावना प्रकट नहीं हो रही है । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–13.10.14 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से स्थित रखा जाता है । उभय पक्ष अपना अपना पक्ष अपर आयुक्त के समक्ष अंतिम तर्क के समय रखें । इसी निर्देश के साथ यह निगरानी अग्राह्य की जाकर इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।

सदस्य